प्रपत्र–23.4(1)

Annexure – 1

FORM – 1
For Linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. Dated 27/06/19

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Complaince of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.40 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Irrigation Department, Vikasnagar, Dehradun for construction of Multi purpose Tank Kadwapani in Dehradun district falls within jurisdiction of Karbari Grant in Vikasnagar Tehsils.

It is further certified that :-

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.40 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), Sub-division level committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. The divesion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
c. The proposal does not invole recognised right of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:- As above

(Full name and Official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23.4(2)

Annexure – II

FORM – 1

(For Project other than Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No. Dated 27/06/19

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Complaince of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.40 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Irrigation Department, Vikasnagar, Dehradun for construction of Multi purpose Tank Kadwapani in Dehradun district falls within jurisdiction of Karbari Grant in Vikasnagar Tehsils.

It is further certified that:-

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.40 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), Sub-division level committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
c. The each of concerned Gram Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Karbari Grant.
d. The discussion and decision on such proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha have given their consent to it.
e. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been comleted and the Gram Sabha have given their consent to it.
f. The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities where application have been specifically safe guarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

(Full name and Official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23.4(3)

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

कार्यवृत्त

पत्रांक :– /सक/वन अधि0अधि0/2018–19 दिनांक 27/06/18

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संशोधित) के धारा–6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC (pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 27/06/18 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के संबंध में चर्चा व विचार–विमर्श हुआ –

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत **कांसवाली कोठरी पे0यो0** के निर्माण हेतु 0.628 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को वन भूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार कांसवाली कोडरी ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 07/05/18 को विचार–विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उप जिलाधिकारी, विकासनगर की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 23/05/18 विचार–विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से संबंधित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।	प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।	जिलाधिकारी देहरादून।

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित **कांसवाली कोठरी पे0यो0** के निर्माण हेतु 0.628 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति 29.05.19 तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित **कांसवाली कोठरी पे0यो0** के निर्माण हेतु 0.628 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर, देहरादून

उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **कांसवाली कोठरी पे0यो0** के निर्माण हेतु 0.628 है0 आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 29/05/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कौस्तुभ मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री कौस्तुभ मिश्र उपजिलाधिकारी, विकासनगर – अध्यक्ष

2– श्री आर०एन० पाण्डेय उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग – सदस्य

3– श्री श्रीमति आँचल वेकवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर –सदस्य/सचिव

4– श्री मनीष नेगी बी0डी0सी0 क्षेत्र – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बहुउद्दे ीय जला ाय निर्माण हेतु 0.628 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर

बहुउद्देशीय जला ाय निर्माण/सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **कांसवाली कोठरी पेयजल योजना** के निर्माण हेतु 0.628 है0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर, उपखण्ड–विकासनगर,
देहरादून।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर, उपखण्ड–विकासनगर,
देहरादून।

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत कांसवाली कोठरी
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत कांसवाली कोठरी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 है0 आरक्षित वन भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत कांसवाली कोठरी द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में पेयजल निगम द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम कांसवाली कोठरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फोरेस्ट राई एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 0.628 है0 आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को कांसवाली कोठरी पे0यो0 निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
कांसवाली कोठरी, वि0ख0 सहसपुर
देहरादून
7-5-19

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 7/5/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कांसवाली कोठरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजकुमार सेठेला	Raj
2	कृष्णा चन्द	Kishan
3	संजय रावत	संजय रावत
4	कविता देवी	कविता देवी
5	दीपा नेगी	दीपा नेगी
6	साजीदा	साजीदा
7	वीना नेगी	वीना नेगी
8	पवन कुमार	पवन कुमार

ग्राम प्रधान Raj
कांसवाली कोठडी, वि०ख० सहसपुर
देहरादून

ग्राम प्रधान